भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 269
दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

लक्षद्वीप में कर्मचारियों को एमएसीपी लाभ

†269. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लक्षद्वीप में कर्मचारियों को पदोन्नति और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (एमएसीपी) लाभ प्रदान करने में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस देरी के क्या कारण हैं और लंबित मामलों को सुलझाने तथा समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अनुबंध कर्मचारियों के लिए एक रोटेशन नीति लागू करने पर विचार कर रही है ताकि व्यक्तिगत और वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए उन्हें अपने मूल द्वीपों में समय-समय पर स्थानांतरित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो जीवन -यापन की लागत और सेवा योगदान को दर्शाने के लिए अनुबंध कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और समायोजन की किसी योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन ने सूचित किया है कि लक्षद्वीप में पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (एमएसीपी) संबंधित नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। ऐसे लाभों से संबंधित मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने एक एकीकृत स्क्रीनिंग समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ): ऐसी कोई नीति/योजना विचाराधीन नहीं है।

******